

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

सं०सं०-6/अ०प्र०-2-4/15

पटना, दिनांक:- 02.01.1991

संकल्प

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०-25 दिनांक-02.01.1991 एवं पत्रांक-2568 दिनांक-16.02.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग में अभियंत्रण सेवा वर्ग-1 के कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करने हेतु निम्न रूपेण विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जाता है:-

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन - सदस्य
3. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
4. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
5. अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण एवं आवास विभाग - सदस्य
6. सामान्य प्रशासन विभाग के एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हो - सदस्य
7. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु०जा०/अनु०ज०जाति एक पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से न्यूनतर न हो - सदस्य
8. प्रशासी विभाग(ग्रामीण कार्य विभाग) द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के मनोनीत पदाधिकारी। - सदस्य

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशित किया जाये और इसकी सूचना सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनीत कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/अ०प्र०-2-4/15

8091

पटना, दिनांक:- 2.7.16

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/अ०प्र०-2-4/15

8091

पटना, दिनांक:- 2.7.16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग /विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-6/अ०प्र०-2-4/15

8091

पटना, दिनांक:- 2.7.16

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को मंत्री महोदय के सूचनार्थ समर्पित।

सरकार के सचिव